

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्र./मंडी बोर्ड/आई.टी.सेल/2023-24/ 271

भोपाल, दिनांक 14/07/2023

प्रति,

श्री मुशर्रफ सुल्तान  
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक  
एन.आई.सी, भोपाल

विषय :- मंडी द्वारा जारी राज्य के बाहर के अनुज्ञा पत्र अनवेरिफाइड/असत्यापित को जारीकर्ता मंडी के द्वारा सत्यापित किये जाने के सम्बन्ध में।

--00--

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मंडी समितियों में कृषि उपज राज्य के बाहर विक्रय की जा कर राज्य के बाहर के अनुज्ञा पत्र जारी किये/कराये जाते हैं। वर्तमान में अंतर्राज्यीय सीमा जांच चौकियां बंद होने के कारण बार्डर की मंडियों से राज्य के बाहर के अनुज्ञा पत्रों का सत्यापन नहीं हो पा रहा है। जिससे ई-अनुज्ञा पोर्टल पर अनवेरिफाइड होकर उक्त अनुज्ञा पत्रों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में उक्त अनुज्ञा पत्रों को 72 घंटे की अवधि पश्चात जारीकर्ता मंडी के स्तर से सत्यापन कर दिए जाने का ऑप्शन ई-अनुज्ञा पोर्टल पर दिए जाने की व्यवस्था किये जाने की मांग मंडी समितियों द्वारा की गई है।

अतः ई-अनुज्ञा पोर्टल पर उक्त ऑप्शन उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही करने का कष्ट करे।

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

(सी.एस. वशिष्ठ)

अपर संचालक

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

भोपाल

क्र./मंडी बोर्ड/आई.टी.सेल/2023-24/ 272

भोपाल, दिनांक 14/07/2023

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
2. संयुक्त/उप संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय (समस्त)।
3. श्री मुशर्रफ सुल्तान, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एन.आई.सी. भोपाल।
4. चीफ प्रोग्रामर/प्रोग्रामर, मंडी बोर्ड, भोपाल।
5. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति (समस्त)।

अपर संचालक

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल